रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 06 दिसम्बर 2025 ई० (अग्रहायण 15, 1947 शक संवत्) [संख्या 49

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	611–640	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1315–1328	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	...	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये	...	975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 8–नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1919-1933	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

आयुष विभाग

अनुभाग–2

आपैबन्धिक नियुक्ति

26 मार्च, 2025 ई0

सं0 1013/96-आयुष-2-2025-(ई0प0-1860469)–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र-संख्या-241/09/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-05, दिनांक 22 मई, 2024 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रोफेसर-कम्युनिटी मेडिसिन (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित डा0 सुमित शर्मा का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन संख्या	गृह जनपद	स्थायी पता	पदस्थापना/तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
सुमित शर्मा	श्री ओम कुमार	1	54900003232	दिल्ली	श्री सुमित शर्मा पुत्र श्री ओम कुमार, 1/10790-बी, सुभाष पार्क, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032	प्रयागराज कालेज

2– उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रोफेसर-कम्युनिटी मेडिसिन (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत), वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-7,600/– (मैट्रिक्स लेवल-12) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1)– अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2)– अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है. तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(3)– वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)– सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(5)– सम्बन्धित अभ्यर्थी को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

(6)– आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(7)– कार्यभार ग्रहण कराने वाले संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें–

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(8)– शासनादेश संख्या/04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

सं0 1014/96-आयुष-2-2025-(ई0प0-1860469)–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र-संख्या-206/09/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-9, दिनांक 30 अप्रैल, 2024 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रोफेसर-फोरेन्सिक मेडिसिन एण्ड टॉक्सीकोलॉजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 रूचि वाधवा का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन संख्या	गृह जनपद	स्थायी पता	पदस्थापना/तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
रूचि वाधवा	श्री रिंकू विश्वास	1	54900040507	श्री गंगानगर (राजस्थान)	5-Z, म0नं0-4/97, न्यू आफिसर्स कालोनी, अबोहर रोड, श्री गंगानगर, राजस्थान-335001	लखनऊ कालेज

2– उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रोफेसर-फोरेन्सिक मेडिसिन एण्ड टॉक्सीकोलॉजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत), वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-7,600/– (मैट्रिक्स लेवल-12) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1)– अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2)– अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है. तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(3)– वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)– सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(5)– सम्बन्धित अभ्यर्थी को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

(6)– आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(7)– कार्यभार ग्रहण कराने वाले संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें–

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(8)– शासनादेश संख्या/04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

3– प्रश्नगत नियुक्ति मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका सं0-6057/2024 (डा0 शशांक पाराशर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

कार्यालय-ज्ञाप

सं0 1015/96-आयुष-2-2025-(ई0प0-1860469)–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र-संख्या-206/09/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-9, दिनांक 30 अप्रैल, 2024 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रोफेसर-फोरेन्सिक मेडिसिन एण्ड टॉक्सीकोलॉजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 सुशील सुभाष चन्द्र दूबे का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन संख्या	गृह जनपद	स्थायी पता	पदस्थापना/तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
सुशील सुभाष चन्द्र दूबे	श्री सुभाष चन्द्र उदयराज दूबे	2	54900005902	सुल्तानपुर	ग्राम गोपीनाथपुर, पो0 बरूआ उत्तरी, थाना चांदा, तहसील लम्भुआ, जनपद सुल्तानपुर, उ0प्र0-400104	कानपुर कालेज

2– उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रोफेसर-फोरेन्सिक मेडिसिन एण्ड टॉक्सीकोलॉजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत), वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-7,600/– (मैट्रिक्स लेवल-12) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की

परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1)– अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2)– वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(3)– सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(4)– सम्बन्धित अभ्यर्थी को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

(5)– आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(6)– कार्यभार ग्रहण कराने वाले संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें–

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

3– प्रश्नगत नियुक्ति मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका सं0-6057/2024 (डा0 शशांक पाराशर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

सं0 1016/96-आयुष-2-2025-(ई0प0-1860469)–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-251/09/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-2, दिनांक 30 मई, 2024 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रोफेसर-मटेरिया मेडिकल (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 सीमा गुप्ता साहू का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन संख्या	गृह जनपद	स्थायी पता	पदस्थापना/तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
सीमा गुप्ता साहू	प्रो0 गणेश प्रसाद साहू	1	54900046644	बरेली	श्री राजेश गुप्ता, 14 द्वारिकापुरम कालोनी, नियर हर्तवान कालेज, इज्जतनगर, बरेली, उ0प्र0-243122	प्रयागराज कालेज

2—उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रोफेसर-मटेरिया मेडिकल (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत), वेतनमान रु0 15,600-39,100/— ग्रेड पे-7,600/— (मैट्रिक्स लेवल-12) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है—

(1)— अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2)— वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(3)— सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(4)— सम्बन्धित अभ्यर्थी को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

(5)— आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(6)— कार्यभार ग्रहण कराने वाले संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें—

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

सं0 1017/96-आयुष-2-2025-(ई0प0-1860469)—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-243/09/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-2, दिनांक 22 मई, 2024 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रोफेसर-मटेरिया मेडिकल (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 अजित प्रकाश द्विवेदी का विवरण निम्नवत् है—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन संख्या	गृह जनपद	स्थायी पता	पदस्थापना/तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
अजित प्रकाश द्विवेदी	श्री हरी कृष्ण द्विवेदी	2	54900040163	कानपुर नगर	श्री अजित प्रकाश द्विवेदी, 12, एम0आई0जी0, पत्रकारपुरम, नवाबगंज, कानपुर नगर, उ0प्र0-208002	अयोध्या कालेज

2— उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रोफेसर-मटेरिया मेडिकल (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत), वेतनमान रु0 15,600-39,100/— ग्रेड पे-7,600/— (मैट्रिक्स लेवल-12) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है—

(1)— अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2)— वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(3)— सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(4)— सम्बन्धित अभ्यर्थी को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

(5)— आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(6)— कार्यभार ग्रहण कराने वाले संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें—

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

सं0 1018/96-आयुष-2-2025-(ई0प0-1860469)—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-243/09/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-2, दिनांक 22 मई, 2024 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रोफेसर-मटेरिया मेडिकल (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 अनिरूद्ध कुमार का विवरण निम्नवत् है—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन संख्या	गृह जनपद	स्थायी पता	पदस्थापना/तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
अनिरूद्ध कुमार	श्री सम्पति राम वर्मा	3	54900017484	बाराबंकी	ग्राम नयापुरवा मजरे बड़ागांव थाना बड्डूपुर, तहसील फतेहपुर, बाराबंकी उ0प्र0-225306	लखनऊ कालेज

2— उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रोफेसर-मटेरिया मेडिकल (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत), वेतनमान रु0 15,600-39,100/— ग्रेड पे-7,600/— (मैट्रिक्स लेवल-12) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है—

(1)— अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2)— वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(3)— सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(4)– सम्बन्धित अभ्यर्थी को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

(5)– आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(6)– कार्यभार ग्रहण कराने वाले संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें–

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

सं0 1019/96-आयुष-2-2025-(ई0प0-1860469)–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-246/09/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-6, दिनांक 28 मई, 2024 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रोफेसर-गायनाकोलॉजी एण्ड आब्सट्रेटिक्स (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 नीतू सिंह का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन संख्या	गृह जनपद	स्थायी पता	पदस्थापना/तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
नीतू सिंह	श्री सतजीत सिंह	1	54900013318	लखनऊ	डा0 नीतू सिंह पुत्री श्री सतजीत सिंह, निवासी-63, रविन्द्र पल्ली, फैजाबाद रोड, लखनऊ।	कानपुर कालेज

2– उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रोफेसर-गायनाकोलॉजी एण्ड आब्सट्रेटिक्स (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत), वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-7,600/– (मैट्रिक्स लेवल-12) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1)– अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2)– वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(3)– सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(4)– सम्बन्धित अभ्यर्थी को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

(5)– आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(6)– कार्यभार ग्रहण कराने वाले संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें–

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

सं0 1020/96-आयुष-2-2025-(ई0प0-1860469)–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-246/09/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-6, दिनांक 28 मई, 2024 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रोफेसर-

गायनाकोलॉजी एण्ड आब्सट्रेटिक्स (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 अमृता ओम प्रकाश राठौर का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन संख्या	गृह जनपद	स्थायी पता	पदस्थापना/तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
अमृता ओम प्रकाश राठौर	ओम प्रकाश राठौर	2	54900037017	जबलपुर (मध्य प्रदेश)	डा0 अमृता ओम प्रकाश राठौर पिता स्व0 ओम प्रकाश राठौर, निवासी-260, कछियाना जबाहरगंज, वार्ड गोलबाजार, जबलपुर मध्य प्रदेश-482001	प्रयागराज कालेज

2– उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रोफेसर-गायनाकोलॉजी एण्ड आब्सट्रेटिक्स (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत), वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-7,600/– (मैट्रिक्स लेवल-12) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1)– अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2)– वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(3)– सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(4)– सम्बन्धित अभ्यर्थी को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

(5)– आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(6)– कार्यभार ग्रहण कराने वाले संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त के साथ अभ्यर्थी के

कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें–

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

सं0 1021/96-आयुष-2-2025-(ई0प0-1860469)–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-246/09/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-6, दिनांक 28 मई, 2024 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रोफेसर-गायनाकोलॉजी एण्ड आब्सट्रेटिक्स (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 चन्द्र मुखी गुप्ता का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन संख्या	गृह जनपद	स्थायी पता	पदस्थापना/तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
चन्द्र मुखी गुप्ता	श्री शम्भू लाल गुप्ता	3	54900027348	गौतमबुद्ध नगर	श्रीमती चन्द्र मुखी गुप्ता पत्नी श्री निखिल गुप्ता, निवासी फ्लैट नं0-एफ-201, जलवायु विहार, सेक्टर-CHI-02, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0-201308	अयोध्या कालेज

2– उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत

पद प्रोफेसर-गायनाकोलॉजी एण्ड आब्सट्रेटिक्स (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत), वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-7,600/– (मैट्रिक्स लेवल-12) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1)– अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2)– वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(3)– सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(4)– सम्बन्धित अभ्यर्थी को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

(5)– आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(6)– कार्यभार ग्रहण कराने वाले संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें–

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

सं0 1022/96-आयुष-2-2025-(ई0प0-1860469)–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-257/09/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-3, दिनांक 31 मई, 2024 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रोफेसर-

आर्गेनान ऑफ मेडिसिन (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 रूची सिंह का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन संख्या	गृह जनपद	स्थायी पता	पदस्थापना/तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
रूची सिंह	श्री कमलेश सिंह मनकोटिका	1	54900017606	कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)	श्री शक्ति चन्द राणा, हाउस नम्बर-41, वार्ड नम्बर-09, वी0पी0ओ0 चौकी, खलेट, पालमपुर, तहसील पालमपुर, जनपद कांगड़ा, हिमांचल प्रदेश-176061	मुरादाबाद कालेज

2– उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रोफेसर-आर्गेनान ऑफ मेडिसिन (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत), वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-7,600/– (मैट्रिक्स लेवल-12) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1)– अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2)– वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(3)– सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(4)– सम्बन्धित अभ्यर्थी को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई-भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(5)– आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(6)– कार्य भार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्य-भार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्य-भार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्य-भार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें–

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

सं0 1023/96-आयुष-2-2025-(ई0प0-1860469)–उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-257/09/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-3, दिनांक 31 मई, 2024 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रोफेसर-आर्गेनान ऑफ मेडिसिन (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 विवेक पाण्डेय का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन संख्या	गृह जनपद	स्थायी पता	पदस्थापना/तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
श्री विवेक पाण्डेय	श्री मार्कण्डेय पाण्डेय	2	54900018349	बलिया	म0नं0-70बी, ग्राम व पोस्ट जनारी, पुलिस थाना-दूभर, जनपद बलिया, उ0प्र0-277401	गाजीपुर कालेज

2– उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रोफेसर-आर्गेनान ऑफ मेडिसिन (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत), वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-7,600/– (मैट्रिक्स लेवल-12) पर तैनात करते हुए कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1)– अभ्यर्थी को अपना कार्य-भार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्य-भार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु कोई भी यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2)– वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(3)– सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(4)– सम्बन्धित अभ्यर्थी को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

(5)– आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(6)– कार्य-भार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्य-भार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्य-भार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्य-भार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें–

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय-सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की फोटों 02 एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

सं0 1024/96-आयुष-2-2025-(ई0प0-1860469)–उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-04/09/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-3, दिनांक 08 जुलाई, 2024 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रोफेसर-आर्गेनान ऑफ मेडिसिन (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 अर्चना कुमारी का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन संख्या	गृह जनपद	स्थायी पता	पदस्थापना/तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
अर्चना कुमारी	श्री अखिलेश कुमार	3	54900023281	अम्बेडकर नगर	ग्राम अशर्फाबाद, पकौडिया, अम्बेडकरनगर उ0प्र0-224122	लखनऊ कालेज

2– उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश, राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रोफेसर-आर्गेनान ऑफ मेडिसिन (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत), वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-7,600/– (मैट्रिक्स लेवल-12) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा

पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

(1)– अभ्यर्थी को अपना कार्य-भार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्य-भार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु कोई भी यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2)– वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(3)– सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(4)– सम्बन्धित अभ्यर्थी को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई-भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(5)– आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(6)– कार्य-भार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्य-भार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्य-भार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे।

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय-सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

सं0 1025/96-आयुष-2-2025-(ई0प0-1860469)–उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-24/09/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-8, दिनांक 29 जुलाई, 2024 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रोफेसर-प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 नितिन त्यागी का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	पदस्थापना/तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
नितिन त्यागी	श्री बृजमोहन त्यागी	1	54900037363	गजियाबाद	डा0 नितिन त्यागी पुत्र श्री बृजमोहन त्यागी, निवासी-192 ग्राम बसंतपुर, सैंतली, मुरादनगर, गाजियाबाद, उ0प्र0-201206	गाजीपुर कालेज

2– उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश, राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रोफेसर-प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन (शिक्षा-संवर्ग के अन्तर्गत), वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-7,600/– (मैट्रिक्स लेवल-12) पर तैनात करते हुए कार्य भार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1)– अभ्यर्थी को अपना कार्य-भार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्य-भार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु कोई भी यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2)– वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(3)– सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(4)– सम्बन्धित अभ्यर्थी को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई -भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(5)– आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(6)– कार्य-भार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्य-भार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्य-भार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्य-भार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय-सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

3– प्रश्नगत नियुक्ति रिट याचिका सं0-8458/2024, डा0 जितेन्द्र सिंह तोमर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

सं0 1026/96-आयुष-2-2025-(ई0प0-1860469)–उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-262/09/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-8, दिनांक 11 जून, 2024 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रोफेसर-प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन (शिक्षा-संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 मोना गुप्ता का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन संख्या	गृह जनपद	स्थायी पता	पदस्थापना/तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
मोना गुप्ता	श्री विन्धेश्वरी प्रसाद गुप्ता	2	54900025207	गजियाबाद	एम-202, एक्सप्रेस गार्डेन, वैभव खण्ड-6, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उ0प्र0-201014	कानपुर कालेज

2– उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश, राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रोफेसर-प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन (शिक्षा-संवर्ग के अन्तर्गत), वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-7,600/– (मैट्रिक्स लेवल-12) पर तैनात करते हुए कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1)– अभ्यर्थी को अपना कार्य भार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्य भार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु कोई भी यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2)– वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(3)– सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(4)– सम्बन्धित अभ्यर्थी को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई-भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(5)– आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(6)– कार्य-भार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्य-भार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्य भार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्य-भार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय-सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

सं0 1027/96-आयुष-2-2025-(ई0प0-1860469)–उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-48/09/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-10, दिनांक 30 सितम्बर, 2024 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रोफेसर-पैथालॉजी (शिक्षा-संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 रिंकू विश्वास का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन संख्या	गृह जनपद	स्थायी पता	पदस्थापना/तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
रिंकू विश्वास	श्री अजीत कुमार विश्वास	1	54900032836	श्री गंगानगर, राजस्थान	हाउस नं0-497 न्यू आफिसर्स कालोनी-5-जेड, एन0ए0, श्री गंगानगर, राजस्थान-335001	प्रयागराज कालेज

2–उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश, राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली, 2017 सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रोफेसर-पैथालॉजी (शिक्षा-संवर्ग के अन्तर्गत), वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-7,600/– (मैट्रिक्स लेवल-12) पर तैनात करते हुए कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1)– अभ्यर्थी को अपना कार्य-भार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्य-भार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु कोई भी यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2)– वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(3)– सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(4)– सम्बन्धित अभ्यर्थी को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई-भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(5)– आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(6)– कार्य-भार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्य-भार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्य-भार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्य-भार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय-सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

सं0 1028/96-आयुष-2-2025-(ई0प0-1860469)–उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-48/09/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-10, दिनांक 30 सितम्बर, 2024 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल

कालेज में प्रोफेसर-पैथालॉजी (शिक्षा-संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 रोली मिश्रा का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन संख्या	गृह जनपद	स्थायी पता	पदस्थापना/तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
रोली मिश्रा	श्री सुरेश चन्द्र मिश्रा	2	54900039759	गौतमबुद्ध नगर	श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी, एच2 1402, गोल्फ सिटी-11, सेक्टर-75, नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0-201304	मुरादाबाद कालेज

2– उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश, राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रोफेसर-पैथालॉजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत), वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-7,600/– (मैट्रिक्स लेवल-12) पर तैनात करते हुए कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

(1)– अभ्यर्थी को अपना कार्य-भार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्य-भार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु कोई भी यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2)– वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(3)– सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(4)– सम्बन्धित अभ्यर्थी को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(5)– आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(6)– कार्य-भार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्य-भार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्य-भार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्य-भार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय-सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

सं0 1029/96-आयुष-2-2025-(ई0प0-1860469)—उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-48/09/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-10, दिनांक 30 सितम्बर, 2024 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रोफेसर-पैथालॉजी (शिक्षा-संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 अजय कुमार शुक्ला का विवरण निम्नवत् है—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन संख्या	गृह जनपद	स्थायी पता	पदस्थापना/तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
श्री अजय कुमार शुक्ला	श्री अशोक कुमार शुक्ला	3	54900049729	लखनऊ	7-1, गीतापुरी कालोनी, खरगापुर, गोमतीनगर एक्सटेंशन, लखनऊ, उ0प्र0-226010	आजमगढ़ कालेज

2— उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश, राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रोफेसर-पैथालॉजी (शिक्षा-संवर्ग के अन्तर्गत), वेतनमान रु0 15,600-39,100/— ग्रेड पे-7,600/— (मैट्रिक्स लेवल-12) पर तैनात करते हुए कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है—

(1)– अभ्यर्थी को अपना कार्य-भार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्य-भार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु कोई भी यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2)– वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(3)– सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(4)– सम्बन्धित अभ्यर्थी को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई-भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(5)– आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(6)– कार्य-भार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्य-भार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्य-भार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्य भार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय-सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

सं0 1030/96-आयुष-2-2025-(ई0प0-1860469)–उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-49/09/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-1, दिनांक 30 सितम्बर, 2024 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रोफेसर-फार्मेसी (शिक्षा-संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 शिवेन्द्र कुमार पटेल का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	पदस्थापना/तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
शिवेन्द्र कुमार पटेल	श्री कृष्ण कुमार पटेल	1	54900037974	मंडला, मध्य प्रदेश	केयर ऑफ कृष्ण कुमार पटेल नियर सरदार पटेल स्कूल वार, 384 अंजानिया, एन, मंडला, मध्य प्रदेश-481998	कानपुर कालेज

2—उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश, राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली, 2017 सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रोफेसर-फार्मेसी (शिक्षा-संवर्ग के अन्तर्गत), वेतनमान रु0 15,600-39,100/— ग्रेड पे-7,600/— (मैट्रिक्स लेवल-12) पर तैनात करते हुए कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है—

(1)— अभ्यर्थी को अपना कार्य-भार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्य-भार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु कोई भी यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2)— वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(3)— सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(4)— सम्बन्धित अभ्यर्थी को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई-भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(5)— आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(6)— कार्य-भार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्य-भार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्य-भार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें—

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय -सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

3– प्रश्नगत नियुक्ति स्पेशल अपील सं0-244/2024, डा0 विनय शंकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

सं0 1031/96-आयुष-2-2025-(ई0प0-1860469)–उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-53/09/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-1, दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रोफेसर-फार्मेसी (शिक्षा-संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 चन्द्र शेखर यादव का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन संख्या	गृह जनपद	स्थायी पता	पदस्थापना/तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
चन्द्र शेखर यादव	श्री केशव सिंह यादव	2	54900002978	बलिया	केशव सिंह यादव, आसन पोखरा, ब्लाक-गरवार, थाना-सुखपुरा, आसन, बलिया, उ0प्र0-277302	अयोध्या कालेज

2– उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश, राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली, 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रोफेसर-फार्मेसी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत), वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-7,600/– (मैट्रिक्स लेवल-12) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर

अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1)– अभ्यर्थी को अपना कार्य-भार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्य-भार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु कोई भी यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2)– वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(3)– सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(4)– सम्बन्धित अभ्यर्थी को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई -भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(5)– आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(6)– कार्य-भार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्य-भार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्य-भार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्य मुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्य-भार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

I- अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय-सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV- सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V- सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

3– प्रश्नगत नियुक्ति स्पेशल अपील सं0-244/2024, डा0 विनय शंकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश, राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

आज्ञा से,
रंजन कुमार,
प्रमुख सचिव।

औद्योगिक विकास विभाग

अनुभाग–4

नियुक्ति

29 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 5079/77-4-24–नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण में उद्यानकर्मी के पद पर कार्यरत स्व0 गंगाराम की मृत्यु होने के फलस्वरूप मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा के पत्रांक नौएडा/कार्मिक/2778/2024/921, दिनांक 27 अगस्त, 2024 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2021 में उल्लिखित प्राविधान के दृष्टिगत श्री अनिल कुमार पुत्र स्व0 गंगाराम को मृतक आश्रित के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान रु0 5,200-20,200 एवं ग्रेड पे-रु0 2,000/- में अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद्द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है–

(1) श्री अनिल कुमार को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) श्री अनिल कुमार द्वारा मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण किया जायेगा, जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ हैं और उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थी। यदि श्री अनिल द्वारा अनुरक्षण करने से इंकार किया जाता है तो उनकी सेवायें उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।

(3) श्री अनिल कुमार द्वारा 01 वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र के साथ हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर ली जाएगी और यदि वह ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनकी सामान्य वार्षिक वेतनवृद्धि रोक ली जायेगी तथा कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए उन्हें 01 वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहती हैं तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।

(4) श्री अनिल कुमार की सेवायें उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018 से संचालित होंगी।

(5) प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार पुलिस सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण करा लिया जायेगा।

(6) उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के नियम-9 (क) एवं (ख) में विहित प्राविधानों के अनुसार श्री अनिल कुमार के चरित्र एवं उनके मानसिक व शारीरिक स्वास्थता का परीक्षण कराते हुए उनकी उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र नियुक्त प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जाये।

2– उपर्युक्त शर्तों के अधीन श्री अनिल कुमार द्वारा उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा), कानपुर में अपनी योगदान आख्या नियुक्ति-पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर अवश्य प्रस्तुत करना होगा अन्यथा नियुक्ति-पत्र निरस्त मान लिया जायेगा।

आज्ञा से,

अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0–36 हिन्दी गजट–भाग 1–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 06 दिसम्बर, 2025 ई० (अग्रहायण 15, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्ति

कार्यालय, जिलाधिकारी, लखनऊ

भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की अधिसूचना

दिनांक : 18 अक्टूबर, 2025 ई0

सं0 1319(vi)/आठ–अ0जि0अ0(भू0अ0) शा0सहा0परि0, लखनऊ–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) कलेक्टर लखनऊ की राय है, कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा संचालित उत्तर रेलवे के दिलकुशा–मल्हौर रेल सेक्शन के किमी0 1084/15–17 पर स्थित सम्पार संख्या–186 पर स्पेशल पर 02 लेन उपरिगामी सेतु के निर्माण के लिए जनपद-लखनऊ, तहसील-सदर, परगना-लखनऊ, ग्राम-भरवारा की 0.0049 हेक्टेयर की भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है, तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनाक 17.10.2025 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण का साराँश इस प्रकार है :–

उत्तर रेलवे के दिलकुशा और मल्हौर के रेल सेक्शन किमी0 1084/15–17 परस्थित सम्पार संख्या-186 पर दो लेन रेल उपरिगामी सेतु ग्राम-भरवारा, तहसील-सदर, जिला-लखनऊ में सेतु निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि अर्जन/अधिग्रहण किया जाना जनहित में है और इससे लोकप्रयोजन की पूर्ति, सामाजिक लाभ व सामाजिक कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति होती है।

भूमि के अधिग्रहण से होने वाला सम्भावित लाभ प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना से अधिक है।

4–भूमि अर्जन में विस्थापन की सम्भावना नहीं है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा संख्या/प्लाट संख्या	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
					हेक्टेयर
01	लखनऊ	सदर	भरवारा (विराज खण्ड साईड)	589 **(प्लाट नं0–2/51)**	0.0049
				कुल योग	**0.0049**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमिका सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा अपरजिलाधिकारी (भू0अ0) शारदा सहायक परियोजना, कक्ष सं0-40, कलेक्ट्रेट, लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

कमलेश कुमार गोयल,
कलेक्टर,
(भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ)
लखनऊ।

कार्यालय, जिलाधिकारी, लखनऊ

भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिशता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की अधिसूचना

दिनांक : 10 नवम्बर, 2025 ई0

सं0 1332(vi)/आठ–अ0जि0अ0(भू0अ0) शा0सहा0परि0, लखनऊ–अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा संचालित उत्तर रेलवे के दिलकुशा–मल्हौर रेल सेक्शन के किमी0 1084/15–17 पर स्थित सम्पार संख्या-186 पर स्पेशल पर 02 लेन उपरिगामी सेतु के निर्माण के लिए जनपद-लखनऊ, तहसील-सदर, परगना-लखनऊ, ग्राम-भरवारा की 0.9134 हेक्टेयर की भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिशता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा(1) के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना सख्या-1132/08–अ0जि0अ0(भू0अ0), शा0सहा0परि0, लखनऊ दिनांक 13.08.2025 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रुप से दिनांक–21.08.2025 को प्रकाशित की गयी थी।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा-(2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 04.11.2025 पर विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते है कि उन्हें समाधान हो गया है कि अनुसूची में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है।

राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते है कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा(2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के सारांश के वर्णित भूमि का क्षेत्रफल व परिवारों के सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा संख्या/प्लाट संख्या	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
1	लखनऊ	सदर	भरवारा	849	0.1129
2				857	0.1738
3				856	0.0403
4				855	0.0384

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
5	लखनऊ	सदर	भरवारा	863	0.0204
6				859	0.0562
7				789स	0.0080
8				792	0.0663
9				811	0.0061
10				802	0.0159
11				801स	0.0123
12				800	0.0219
13				795	0.1254
14				798	0.0046
15				796	0.1444
16	लखनऊ	सदर	विराज खण्ड साईड	557 (प्लाट नं0–2/141, 2/142, 2/143, 2/144, 2/145, 2/146),	0.0113
17				592 (प्लाट नं0–2/152, 2/153, 2/154)	0.0078
18				590 (प्लाट नं0–2/155, 2/156, 2/157, 2/158, 2/159, 2/160, 2/161)	0.0214

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
19	लखनऊ	सदर	विराज खण्ड साईड	588अ, 588ब, 590स),	0.0260
				कुल योग ..	**0.9134**

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा, अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) शारदा सहायक परियोजना, कक्ष सं0–40, कलेक्ट्रेट, लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

विशाख जी0,
कलेक्टर,
लखनऊ।

राजस्व-विभाग

प्रारूप–19

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा
(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

अधिसूचना

30 अक्टूबर, 2025 ई0

सं0 2227/आठ–वि0भू0अ0अ0/सं0सं0/मथुरा/2025–चूँकि प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 1764/वि0भू0अ0अ0/सं0सं0/मथुरा/2025 दिनांक 04.07.2025 सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जनपद मथुरा में अन्तर्राज्यीय बहुउद्देशीय हब विकसित करने हेतु जिला-मथुरा तहसील-गोवर्धन स्थित राजस्व ग्राम-गांठौली में अर्जित की जाने वाली कुल 1.6120 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम सं0-30 सन् 2013) (जिसे आगे ''उक्त अधिनियम'' कहा गया है) की धारा-11 की उप-धारा (1) के अधीन निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 02.08.2025 को प्रकाशित की गयी थी। उपरोक्त परियोजना हेतु भूमि अर्जन से किसी भी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है। अतएव, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ प्रशासक नियुक्त किया जाना आवश्यक नहीं था।

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा-15 की उप-धारा (2) के अधीन परन्तुक अनुसरण में प्रस्तुत की गयी कलेक्टर (भूमि अध्याप्ति) की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् अधिसूचना संख्या-491/एक-13-2014-7क(51)/2014 लखनऊः दिनांक 06 अगस्त, 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके कलेक्टर मथुरा उक्त अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा करते हैं कि उनका यह समाधान हो गया है कि प्रदत्त अनुसूची ''क'' में उल्लिखित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है और अनुसूची ''ख'' में यथा-प्रदत्त ग्राम-परगना और जिला में कोई भूमि विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए चिन्हांकित नहीं की गयी है (इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है)।

जनपद-मथुरा में अन्तर्राज्यीय बहुउद्देशीय हब विकसित करने हेतु भूमि अर्जन से किसी भी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है। अतएव पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु कोई भूमि चिन्हित करने और पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश प्रकाशित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है–

अनुसूची–''क''

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
मथुरा	गोवर्धन	गोवर्धन	गांठौली	1235	0.4410
				1246	1.1710
–	–	–		**योग**	**1.6120**

अनुसूची–''ख''

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
मथुरा	गोवर्धन	गोवर्धन	गांठौली	शून्य	शून्य

(इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी भी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है)

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा, कार्यालय जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति अनुभाग), मथुरा में देखा जा सकता है।

चन्द्र प्रकाश सिंह,
कलेक्टर/प्राधिकृत अधिकारी,
मथुरा।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

REVENUE DEPARTMENT

DECLARATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

(UNDER SUB-SECTION(1) OF SECTION 19 OF THE ACT)

NOTIFICATION

30 October, 2025

No. 2227/VIII-S.L.A.O./Mathura/2025--Whereas preliminary notification No. 1764/ S.L.A.O/ J.O./ Mathura/ 2024 dated 04-07-2025 was issued under Sub-section (1) of Section-11 of

the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation & Resettlement Act-2013 (Act no. 30 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act), in respect of 1.6120 hectare of land in Village-Gantholi, Tehsil- Govardhan, District-Mathura required for public purpose for Developing Inter state Multipurpose Hub in District-Mathura and lastly published on 02-08-2025. There is no family likely to be displaced due to land acquisition for the above said project. Hence there was no need to appoint Administrator for the purpose of Rehabilitation & Resettlement of the Project affected families.

Now, therefore, after considering the report of the Collector (Land Acquisition) submitted in pursuance to provision under Sub-section (2) of Section 15 of the said Act, in exercise of the powers conferred by the Governor *vide* Notification No. 491/I-13-2014-7ka(51)/ 2014 Lucknow, Dated August 06, 2014, the Collector, Mathura declares under Section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and no land in the Village, Pargana and District as given in Schedule "B" has been identified for Rehabilitation & Resettlement of the displaced families (No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project).

No family is likely to be displaced due to land acquisition for Developing Inter state Multipurpose Hub in District-Mathura. Hence there is no need for identification of any land for Rehabilitation and Resettlement and publication of summary of Rehabilitation & Resettlement Scheme-

SCHEDULE-"A"

(LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Mathura	Govardhan	Govardhan	Gantholi	1235	0.4410
				1246	1.1710
,,	,,	,,	,,	**Total . .**	**1.6120**

SCHEDULE-"B"

(LAND IDENTIFIED AS SETTLEMENT AREA FOR DISPLACED FAMILIES)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired earmarked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Mathura	Govardhan	Govardhan	Gantholi	NIL	NIL

(No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project)

NOTE : The site map of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

Chandra Prakash Singh
Collector / Authorised Officer,
Mathura.

उत्तर प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

प्रारूप–19

समुचित सरकार / कलेक्टर द्वारा घोषणा

(अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

अधिसूचना

30 अक्टूबर, 2025 ई0

सं0 2226 / आठ–वि0भू0अ0अ0 / सं0सं0 / मथुरा / 2025–चूँकि प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 1765 / वि0भू0अ0अ0 / सं0सं0 / मथुरा / 2025 दिनांक 04.07.2025 सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जनपद-मथुरा में बृज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग हेतु जिला-मथुरा तहसील-गोवर्धन स्थित राजस्व ग्राम-बाद / क्षे0 0.068455 हेक्टेयर, धनगांव / क्षे0 0.237739 हेक्टेयर एवं नवीपुर / क्षे0 0.001967 हेक्टेयर तद्नुसार कुल क्षेत्रफल 0.308161 हेक्टेयर में अर्जित की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम सं0-30 सन् 2013) (जिसे आगे ''उक्त अधिनियम'' कहा गया है) की धारा-11 की उप–धारा (1) के अधीन निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 02.08.2025 को प्रकाशित की गयी थी। उपरोक्त परियोजना हेतु भूमि अर्जन से किसी भी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है। अतएव, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ प्रशासक नियुक्त किया जाना आवश्यक नहीं था।

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के अधीन परन्तुक अनुसरण में प्रस्तुत की गयी कलेक्टर (भूमि अध्याप्ति) की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् अधिसूचना संख्या-491 / एक-13-2014-7क(51) / 2014 लखनऊः दिनांक 06 अगस्त, 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके कलेक्टर मथुरा उक्त अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा करते हैं कि उनका यह समाधान हो गया है कि प्रदत्त

अनुसूची ''क'' में उल्लिखित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है और अनुसूची ''ख'' में यथा-प्रदत्त ग्राम, परगना और जिला में कोई भूमि विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए चिन्हांकित नहीं की गयी है (इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है)।

जनपद मथुरा में बृज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग हेतु भूमि अर्जन से किसी भी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है। अतएव पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु कोई भूमि चिन्हित करने और पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश प्रकाशित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है–

अनुसूची–''क''

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जिला	तहसील	ग्राम	भू–खण्ड संख्या	अर्जित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
			98	0.016000
			2779	0.020800
मथुरा	सदर	बाद	2780	0.009600
			2781	0.016000
			2759	0.001330
मथुरा	सदर	बाद	2697	0.001200
			588	0.000825
			607	0.000675
			608	0.001200
			612	0.000825
–	–		**योग . .**	**0.068455**
			201अ	0.015990
			201ब	0.053232
			252/3	0.021000
			242	0.000800
मथुरा	सदर	धनगांव	249अ	0.006857
			260	0.010260
			197	0.048000
			259	0.081600
–	–	**योग**	–	**0.237739**

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
मथुरा	सदर	नवीपुर	455	0.000500
			549	0.001467
—	—		**योग . .**	**0.001967**
—	—		**कुल योग . .**	**0.308161**

अनुसूची-''ख''

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जिला	तहसील	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
मथुरा	सदर	बाद	शून्य	शून्य
,,	,,	धनगांव	,,	,,
,,	,,	नवीपुर	,,	,,

(इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी भी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है)

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कार्यालय जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति अनुभाग), मथुरा में देखा जा सकता है।

चन्द्र प्रकाश सिंह,
कलेक्टर/प्राधिकृत अधिकारी,
मथुरा।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

REVENUE DEPARTMENT

Declaration by Appropriate Government/Collector

[Under Sub-section (1) of section 19 of the Act]

NOTIFICATION

30 October, 2025

No. 2226/VIII-S.L.A.O./Mathura/2025--Whereas preliminary notification No. 1765/ S.L.A.O/J.O./ Mathura/2025 dated 04-07-2025 was issued under Sub-section (1) of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation & Resettlement Act-2013 (Act no. 30 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act), in respect of area 0.068455 hectare of land in Village-Bad, area 0.237739 hectare of land in Village-Dhangaon, and area 0.001967 hectare of land in Village-Navipur Tehsil-Sadar, District-Mathura accordingly total land area of 0.308161 hectare is required for public purpose for the Brij Chaurasi Kos Parikrama Marg in District-

Mathura and lastly published on 02-08-2025. There is no family likely to be displaced due to land acquisition for the above said project. Hence there was no need to appoint Administrator for the purpose of Rehabilitation & Resettlement of the Project affected families.

Now, therefore, after considering the report of the Collector (Land Acquisition) submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of Section 15 of the said Act, in exercise of the powers conferred by the Governor *vide* Notification No. 491/I-13-2014-7ka(51)/ 2014 Lucknow, Dated August 06, 2014, the Collector Mathura declares under Section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and no land in the Village, Pargana and District as given in Schedule "B" has been identified for Rehabilitation & Resettlement of the displaced families (No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project).

No family is likely to be displaced due to land acquisition for the Brij Chaurasi Kos Parikrama Marg in District Mathura. Hence there is no need for identification of any land for Rehabilitation and Resettlement and publication of summary of Rehabilitation & Resettlement Scheme-

SCHEDULE-"A"

(LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)

DISTRICT	TEHSIL	VILLAGE	PLOT NO.	AREA TO BE ACQUIRED
1	2	3	4	5
				Hectares
Mathura	Sadar	Bad	98	0.016000
			2779	0.020800
			2780	0.009600
			2781	0.016000
			2759	0.001330
			2697	0.001200
			588	0.000825
			607	0.000675
			608	0.001200
			612	0.000825
			Total. .	**0.068455**

1	2	3	4	5
				Hectares
Mathura	Sadar	Dhangaon	201 A	0.015990
			201 B	0.053232
			252/3	0.021000
			242	0.000800
			249 A	0.006857
			260	0.010260
			197	0.048000
			259	0.081600
,,	,,		**Total. .**	**0.237739**
Mathura	Sadar	Navipur	455	0.000500
			549	0.001467
,,	,,		**Total . .**	**0.001967**
,,	,,		**Grand Total .**	**0.308161**

SCHEDULE-"B"

(LAND IDENTIFIED AS SETTLEMENT AREA FOR DISPLACED FAMILIES)

DISTRICT	TEHSIL	VILLAGE	PLOT NO.	AREA ACQUIRED EARMARKED FOR
1	2	3	4	5
				Hectares
Mathura	Sadar	Bad	NIL	NIL
,,	,,	Dhangaon	,,	,,
,,	,,	Navipur	,,	,,

(No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project)

NOTE : The site map of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

Chandra Prakash Singh
Collector / Authorised Officer,
Mathura.

कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बस्ती

26 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 1576/UP51J-8412/पंजीयन निरस्त/2024–वाहन सं0 UP51J-8412 प्रकार मोटरकार चेचिस संख्या MAKFD162A7N003528 इंजन नम्बर R18A11971308 मॉडल 2007 है। पंजीकृत वाहन स्वामी डा0 नवीन कुमार पुत्र स्व0 वीरेन्द्रनाथ नवयुग मेडिकल सेन्टर, मालवीय रोड, पोस्ट-गॉधीनगर, जनपद-बस्ती ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन संचालन योग्य न होने के कारण कबाड़ में कटवा दी है। वर्तमान में वाहन पूरी तरह अस्तित्वविहीन हो चुकी है। वाहन का पंजीयन संख्यांक निरस्त कर दिया जाय। वाहन का एक बारीय कर (OTT) जमा है। वाहन के चेचिस का टुकड़ा वाहन स्वामी द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 को कार्यालय में जमा कर दिया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वाहन आस्तित्व विहीन हो चुकी है।

अतः केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-55 (1) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजीकृत वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर मैं, पंकज सिंह, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP51J-8412 का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ। पंजीयन निरस्त के पश्चात यदि वाहन का संचालन भविष्य में पाया जाता है, या संचालन की पुष्टि होती है तो पंजीयन निरस्त की तिथि से सम्पूर्ण कर एवं शास्ति सहित वाहन स्वामी जमा करने हेतु उत्तरदायी होंगे।

सं0 1577/UP51T-1261/पंजीयन निरस्त/2024–वाहन सं0 UP51T-1261 प्रकार गुड्स कैरियर चेचिस संख्या 426031ESZ008232 इंजन नम्बर 70D62562176 मॉडल 2007 है। पंजीकृत वाहन स्वामिनी श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री विनीत अग्रहरि मोहल्ला-महरीखावॉ, निकट जनता होटल, पोस्ट-गाँधीनगर, जनपद-बस्ती ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 07 अक्टूबर, 2024 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन संचालन योग्य न होने के कारण कबाड़ में कटवा दी है। वर्तमान में वाहन पूरी तरह अस्तित्वविहीन हो चुकी है। वाहन का पंजीयन संख्यांक निरस्त कर दिया जाय। वाहन का कर दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 तक जमा है। वाहन के चेचिस का टुकड़ा वाहन स्वामी द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 को कार्यालय में जमा कर दिया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वाहन आस्तित्व विहीन हो चुकी है।

अतः केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-55 (1) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजीकृत वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर मैं, पंकज सिंह, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP51T-1261 का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ। पंजीयन निरस्त के पश्चात यदि वाहन का संचालन भविष्य में पाया जाता है, या संचालन की पुष्टि होती है तो पंजीयन निरस्त की तिथि से सम्पूर्ण कर एवं शास्ति सहित वाहन स्वामी जमा करने हेतु उत्तरदायी होंगे।

20 मार्च, 2025 ई0

सं0 2961/DLIP-6667/पंजीयन निरस्त/2025–वाहन सं0 DL1P-6667 प्रकार बस चेचिस संख्या 344350421622 व इंजन नम्बर NA मॉडल 1992 है। पंजीकृत वाहन स्वामी श्री बृजलाल वर्मा पुत्र श्री महादेव, निवासी-लोहरौली बाजार, जनपद-संतकबीरनगर ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 05 मार्च, 2025 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन कबाड़ में कट जाने के कारण संचालन योग्य नही रह गयी थी, जिस कारण दिनांक 27 जून, 2011 को तत्कालीन सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बस्ती के समक्ष पंजीयन निरस्तीकरण हेतु प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके सम्बन्ध में तत्समय पंजीयन निरस्त हेतु रु0 50/- रसीद संख्या AM0517255 दिनांक 27 जून, 2011 को जमा करा लिया गया था तथा वाहन का पंजीयन निरस्त कर दिया गया था। निरस्तीकरण के उपरान्त भी वाहन 4.0 पोर्टल पर बकाया प्रदर्शित हो रहा है। कृपया बकाया कर को अदेय कर पंजीयन निरस्त कर दिया जाये।

उपरोक्त के दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया कि वाहन वर्तमान में अस्तित्वविहीन है। अतएव मार्गकर दिनांक 01 जुलाई, 2011 से अदेय कर केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-55 में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजीकृत वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर मैं, पंकज सिंह, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या DL1P-6667 का पंजीयन तत्काल भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त करता हूँ। पंजीयन निरस्त के पश्चात यदि वाहन का. संचालन भविष्य में पाया जाता है, या संचालन की पुष्टि होती है तो पंजीयन निरस्त की तिथि से सम्पूर्ण कर एवं शास्ति सहित वाहन स्वामी जमा करने हेतु उत्तरदायी होंगे।

सं0 2962/DLIP-2851/पंजीयन निरस्त/2025–वाहन सं0 DL1P-2851 प्रकार बस चेचिस संख्या 359550418797 व इंजन नम्बर 692D28432054 मॉडल 1992 है। पंजीकृत वाहन स्वामी श्री अमर सिंह पुत्र श्री स्व0 नरेन्द्र सिंह, रोडवेज तिराहा, जनपद-बस्ती ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 06 मार्च, 2025 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन कबाड़ में कट जाने के कारण संचालन योग्य नही रह गयी थी, जिस कारण दिनांक 27 जून, 2011 को तत्कालीन सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बस्ती के समक्ष पंजीयन निरस्तीकरण हेतु प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके सम्बन्ध में तत्समय पंजीयन निरस्त हेतु रु0 50/- रसीद संख्या AM517254 दिनांक 27 जून, 2011 को जमा करा लिया गया था तथा वाहन का पंजीयन निरस्त कर दिया गया था। निरस्तीकरण के उपरान्त भी वाहन 4.0 पोर्टल पर बकाया प्रदर्शित हो रहा है। कृपया बकाया कर को अदेय कर पंजीयन निरस्त कर दिया जाये।

उपरोक्त के दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया कि वाहन वर्तमान में अस्तित्वविहीन है। अतएव मार्गकर दिनांक 01 जुलाई, 2011 से अदेय कर केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-55 में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजीकृत वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर मैं, पंकज सिंह, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या DL1P-2851 का पंजीयन तत्काल भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त करता हूँ। पंजीयन निरस्त के पश्चात यदि वाहन का संचालन भविष्य में पाया जाता है, या संचालन की पुष्टि होती है तो पंजीयन निरस्त की तिथि से सम्पूर्ण कर एवं शास्ति सहित वाहन स्वामी जमा करने हेतु उत्तरदायी होंगे।

पंकज सिंह,
पंजीयन अधिकारी,
मोटर वाहन विभाग, बस्ती।

पी0एस0यू0पी0–36 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 06 दिसम्बर, 2025 ई० (अग्रहायण 15, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय, नगर निगम, गजियाबाद

शुद्धि-पत्र

27 सितम्बर, 2025 ई0

सं0 2193/न0आ0/2025-26—उत्तर प्रदेश, सरकार के सरकारी गजट में प्रकाशित गाजियाबाद नगर निगम की ''नगर निगम गाजियाबाद के ठोस (अपशिष्ठ प्रबन्धन एवं हथालन) उपविधियॉ 2016'', जो कि शनिवार 26 अगस्त, 2017 ई0 (माह 4 1939 शक् सम्वत्) इलाहाबाद में प्रकाशित हुई है, जिसमें कुछ त्रुटि सुधार की अवश्यकता है। उपविधि के प्रकाशन के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही पूर्व में ही की जा चुकी है। सरकारी गजट में संशोधन कराये जाने हुतु नगर में परिचालित दैनिक समाचार पत्रों दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान एवं युग करवट में दिनांक 02 जुलाई, 2025 के अंक में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जा चुका है। त्रुटि सुधार हेतु विवरण निम्नवत् हैः—

बिन्दु सं0	पूर्व में प्रकाशित		शुद्ध	
	भवन का क्षेत्रफल	मासिक यूजर चार्ज की दरें	भवन का क्षेत्रफल	मासिक यूजर चार्ज की दरें
21 (a)	01 मीटर से 100 मीटर तक	3,500/–	01 वर्गमीटर से 1000 वर्गमीटर तक	3,500/–
21 (b)	1001 मीटर से 2000 मीटर तक	7,000/–	1001 वर्गमीटर से 2000 वर्गमीटर तक	7,000/–
21 (c)	2001 मीटर से 5000 मीटर तक	14,00/–	2001 वर्गमीटर से 5000 वर्गमीटर तक	14,000/–
21 (d)	5001 मीटर से ऊपर	35,00/–	5001 वर्गमीटर से ऊपर	35,000/–

22 – औद्योगिक ईकाई एवं उत्पादन संस्थायें –

22 (1) – Non Mechanical and Electrical Units-

बिन्दू सं0	उपयोग का प्रकार	शुद्ध
a	01 से 500 मीटर तक	1 से 500 वर्गमीटर तक
b	501 से 1000 मीटर तक	501 से 1000 वर्गमीटर तक
c	1001 मीटर से 2000 मीटर तक	1001 वर्गमीटर से 2000 वर्गमीटर तक
d	2001 मीटर से 5000 मीटर तक	2001 वर्गमीटर से 5000 वर्गमीटर तक
e	5001 मीटर से अधिक	5001 वर्गमीटर से अधिक

22 (2) – Mechanical and Electrical Units-

a	01 से 500 मीटर तक	1 से 500 वर्गमीटर तक
b	501 से 1000 मीटर तक	501 से 1000 वर्गमीटर तक
c	1001 मीटर से 2000 मीटर तक	1001 वर्गमीटर से 2000 वर्गमीटर तक
d	2001 मीटर से 5000 मीटर तक	2001 वर्गमीटर से 5000 वर्गमीटर तक
e	5001 मीटर से अधिक	5001 वर्गमीटर से अधिक

23 कबाड़ी/रददी आदि का संग्रहण करने वाले –

a	01 से 50 मीटर तक	1 से 50 वर्गमीटर तक
b	51 से 100 मीटर तक	51 से 100 वर्गमीटर तक
c	101 मीटर से 200 मीटर तक	101 वर्गमीटर से 200 वर्गमीटर तक
d	201 मीटर से 500 मीटर तक	201 वर्गमीटर से 500 वर्गमीटर तक
e	501 मीटर से अधिक	501 वर्गमीटर से अधिक

(ह0) अस्पष्ट
नगर आयुक्त,
गाजियाबाद नगर निगम।

कार्यालय, नगर पंचायत जोया, जनपद-अमरोहा

केयरिंग चार्ज उपविधि–2025

19 अगस्त, 2025 ई0

सं0 184/न0पं0 जोया/2025– उत्तर प्रदेश– नगर पालिका अधिनियम, 1916 की सुसंगत धाराओं तथा धारा 298 सूची-1 की उपसूची " क से त्र " तक में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पर्यावरण संरक्षण, लोक स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा जनहित तथा स्वच्छ भारत मिशन योजना के सुचारु रुप से क्रियान्वयन हेतु नगर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने के लिए नगर पंचायत जोया, जनपद-अमरोहा की सीमान्तर्गत केयरिंग चार्ज के सम्बन्ध में **"केयरिंग चार्ज उपविधि–2025"** बनायी गयी है। उपविधि को लागू करने हेतु सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत के कार्यालय में प्रकाशन की तिथि के 30 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है, तत्क्रम में नगर पंचायत जोया द्वारा बोर्ड की बैठक दिनांक 23 जुलाई 2024 को प्रस्ताव संख्या-03 सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया, जिसका प्रकाशन दैनिक शाह टाईम्स एवं दैनिक राष्ट्रीय सहारा समाचार-पत्र दिनांक 04 फरवरी 2025 के अंक में प्रकाशित कराकर 30 दिन के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किये गये, निर्धारित समयावधि के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नही हुए, बोर्ड की बैठक दिनांक 18 मार्च 2025 के प्रस्ताव संख्या-05 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप से सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई है, निम्नवत उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

उपविधि

1. संक्षिप्त नाम– यह उपविधि नगर पंचायत जोया, जनपद-अमरोहा की केयरिंग चार्ज उपविधि–2025 कहलाएगी।
2. प्रसार – इसका प्रसार नगर पंचायत जोया, जनपद-अमरोहा की वर्तमान सीमा तथा आगामी वर्षों में होने वाली सीमा वृद्धि में होगा।
3. नगर पंचायत जोया, जनपद-अमरोहा की सीमा का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित नगर पंचायत जोया, जनपद-अमरोहा से है।
4. प्रशासक प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत जोया, जनपद-अमरोहा के प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष से है।
5. अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत जोया, जनपद-अमरोहा के अधिशासी अधिकारी से है। जो केयरिंग चार्ज अधिकारी/दण्डाधिकारी होगा। अधिशासी अधिकारी उपविधि में दी गयी शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अपने सक्षम अधीनस्थ अधिकारी से करा सकता है।
6. अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे प्रत्येक 5 वर्षों में केयरिंग चार्ज का पुनरीक्षण करायेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि चार्ज का पुनरीक्षण न हो सका तो प्रत्येक 5 वर्षों में निर्धारित चार्ज में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए चार्ज वसूलना सुनिश्चित करायेंगे।
7. यह उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

केयरिंग चार्ज की दरें :–

क्र० सं०	कृत्य	निकाय द्वारा आरोपित धनराशि
1	2	3
		रु0
1.	प्रत्येक घर से डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण करने का शुल्क/चार्ज।	50.00 प्रतिमाह
(a)	एक मंजिल भवन क्षेत्रफल 50 वर्ग मी0 तक यूजर चार्जेज।	10.00 प्रतिमाह

1	2	3
		रु0
(b)	एक मंजिल भवन क्षेत्रफल 50–100 वर्ग मी0 तक यूजर चार्जेज।	20.00 प्रतिमाह
(c)	एक मंजिल भवन क्षेत्रफल > 101 वर्ग मी0 तक यूजर चार्जेज।	30.00 प्रतिमाह
(d)	अपार्टमेन्टस, हाउस, कामप्लेक्स, एक से अधिक तल क्षेत्रफल > 101 वर्ग मी0 तक यूजर चार्जेज।	50.00 प्रतिमाह
2.	बैंक/कार्यालय (सरकारी, अर्द्धसरकारी, प्राईवेट)/विद्यालय/महाविद्यालय आदि से डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण करने का शुल्क/चार्ज।	200.00 प्रतिमाह
3.	रेस्टोरेन्ट/ढाबों/चाय/मिठाई/मीट की दुकान आदि से डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण करने का शुल्क/चार्ज।	500.00 प्रतिमाह
4.	होटल/बड़े रेस्टोरेन्ट/प्रतिष्ठान/मैरिज हाल आदि से डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण करने का शुल्क/चार्ज।	1000.00 प्रतिमाह
5.	आवासीय भवन स्वामियों द्वारा खुले में कूड़ा-कचरा डालने पर अर्थ-दण्ड।	100.00 प्रतिदिन
6.	दुकानदारों द्वारा खुले में कचरा डालने पर अर्थदण्ड।	100.00 प्रतिदिन
7.	रेस्टोरेन्ट मालिकों द्वारा खुले में कचरा डालने पर अर्थ-दण्ड।	1000.00 प्रतिदिन
8.	होटल मालिकों द्वारा खुले में कचरा डालने पर अर्थ-दण्ड।	2000.00 प्रतिदिन
9.	बारात घर, गेस्ट हाऊस, बैंकट हाल द्वारा खुले में कचरा डालने पर अर्थ-दण्ड।	2500.00 प्रतिदिन
10.	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा खुले में कचरा डालने पर अर्थ-दण्ड।	रु० 5000.00 प्रतिदिन
11.	हलवाई, चाट पकौड़ी, फास्ट फूड, आईसक्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य जूस एवं फूड आदि ठेला व्यवसायियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर अर्थ-दण्ड।	500.00 प्रतिदिन
12.	डेरी मालिकों द्वारा गोबर को सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना अथवा नाला/नालियों में बहाने पर/नाले नालियों पर अतिक्रमण करने पर अर्थ-दण्ड।	500.00 प्रतिदिन
13.	निजी मकान, दुकान इत्यादि के निर्माण का मलवा, सामग्री, ईंट, सीमेन्ट, लोहा, पत्थर सरकारी भूमि, सार्वजनिक मार्गों/स्थल पर डालने पर अर्थ-दण्ड।	500.00 प्रतिदिन
14.	निजी ट्रैक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर, इत्यादि परिवहन करते हुए नगर पालिका की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखेरने व गन्दगी फैलाने पर अर्थ-दण्ड।	1000.00 प्रतिदिन
15.	सरकारी भवनों, चौराहों, तिराहों, सरकारी कार्यालयों की दीवारों व उनके गेट, सरकारी विद्युत पोल पर निजी वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारें ऐतहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने व बैनर्स लगाने पर उस संस्था अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर) अर्थ-दण्ड।	2000.00 प्रतिदिन

1	2	3
		रु0
16.	बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के रोड कटिंग करने पर तथा नाला/नाली को तोड़ने एवं क्षतिग्रस्त करने पर अर्थ-दण्ड।	5000.00 प्रतिदिन तथा मरम्मत चार्ज अतिरिक्त होगा।
17.	अपने भवन, दुकानों पर नीले एवं हरे रंग के ढक्कनदार कूड़ेदान न रखने तथा गीले एवं सूखे कूड़े कचरे को अलग-अलग एकत्रित न करने पर अर्थ-दण्ड।	100.00 प्रतिदिन
18.	दुकानदार अथवा ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर व साईकिल, बड़े वाहनों की रिपेयरिंग कर ऑयल, मिट्टी व पानी फैलाकर गन्दगी करने पर अर्थ-दण्ड।	200.00 प्रतिदिन
19.	मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गये जानवरों की हड्डियों, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सार्वजनिक मार्ग स्थल पर डालकर गन्दगी फैलाने पर अर्थ-दण्ड।	500.00 प्रतिदिन
20.	सार्वजनिक मार्ग, चौराहों व भवनों, दुकानों आदि के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड़, गधा, घोड़ा, खच्चर, सूअर इत्यादि पालतू जानवरों से गन्दगी फैलाने पर सम्बन्धित पशु के स्वामी से। पालतू जानवरों के खुले घूमते पाये जाने पर उनको नगर पालिका परिषद, गजरौला द्वारा पकडवा कर नगर पालिका परिषद, गजरौला के कांजी हाऊस में बन्द किया जायेगा, जिनको निर्धारित जुर्माना दे कर 7 दिन के अन्दर छुडाया जा सकेगा। 7 दिन तक न छुडाने पर उक्त जानवर को जब्त कर नीलाम किया जायेगा।	500.00 प्रति जानवर प्रतिदिन
21.	सार्वजनिक स्थान, ज़मीन व सड़क के किनारे बैठकर सब्ज़ियाँ बेचकर उनसे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों, कूड़े कचरे को सार्वजनिक मार्ग स्थल पर डालकर गन्दगी फैलाने पर अर्थ-दण्ड।	200.00 प्रतिदिन
22.	हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा सार्वजनिक मार्ग स्थल, नाला, नाली आदि में गन्दगी बाल इत्यादि डालने पर अर्थ-दण्ड।	500.00 प्रतिदिन
23.	दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा सार्वजनिक मार्ग, चौराहों, सड़क अथवा दुकानों के सामने की खाली सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर व्यवसाय करने पर अर्थ-दण्ड।	1000.00 प्रतिदिन
24.	प्राईवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, दवाखाना, मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी लैब इत्यादि के द्वारा सार्वजनिक मार्ग, सड़क पर, फुटपाथ पर अपशिष्ट पदार्थों को डालकर गन्दगी फैलाने पर अर्थ-दण्ड।	1000.00 प्रतिदिन
25.	विभिन्न चिकित्सकीय संस्थानों जैसे प्राईवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब इत्यादि के जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट में अथवा सार्वजनिक स्थान पर डालने पर अर्थ-दण्ड।	1000.00 प्रतिदिन

1	2	3
		रु0
26.	सड़क किनारे वॉशिंग मशीन लगाकर गाड़ियों की धुलाई करने पर अर्थ-दण्ड।	1000.00 प्रतिदिन।
27.	सड़क किनारे, फुटपाथ, रेलवे लाईन किनारे, सार्वजनिक मार्ग, सरकारी भूमि में खुले में शौच करने पर अर्थ-दण्ड।	500.00 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
28.	सड़क किनारे, फुटपाथ, रेलवे लाईन किनारे, सार्वजनिक मार्ग, सरकारी भूमि में खुले में पेशाब करने पर अर्थ-दण्ड।	200.00 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
29.	सड़क किनारे, फुटपाथ, सार्वजनिक मार्ग, सरकारी भूमि, सरकारी कार्यालय, सरकारी कार्यालयों की दीवारों पर थूकने, तम्बाकू, पान आदि की पीक थूकने पर अर्थ-दण्ड।	200.00 प्रतिदिन
30.	सार्वजनिक स्थल सरकारी कार्यालयों में धूमपान, मद्यपान करने पर अर्थ-दण्ड।	200.00 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
31.	अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कूड़ादान (डस्टबिन) न रखने पर अर्थ-दण्ड।	200.00 प्रतिदिन
32.	सड़क पटरी, सार्वजनिक भूमि, सार्वजनिक मार्ग पर जनरेटर रखकर अतिक्रमण करने पर अर्थ-दण्ड।	1000.00 प्रतिदिन
33.	सार्वजनिक नाले, नालियों, स्थानों पर स्लैब/स्थायी/अस्थायी अतिक्रमण करने तथा अवैध प्रक्षेप (छज्जा, टीनशेड आदि) डालने पर अर्थ-दण्ड।	1000.00 प्रतिदिन
34.	नगर पालिका की सम्पत्ति, शासकीय सम्पत्तियों, भवनों, दुकानों आदि को क्षति पहुँचाने एवं पालिका की बिना अनुमति के उसमें किसी भी प्रकार का निर्माण/परिवर्तन करने पर अर्थ-दण्ड।	5000.00 प्रतिदिन
35.	वाहन पार्किंग हेतु निर्धारित स्थान के अलावा सार्वजनिक मार्गों, चौराहों, सरकारी भूमि पर वाहन खड़ा करके अवरोध उत्पन्न करने पर अर्थ-दण्ड।	1000.00 प्रतिदिन
36.	नॉन वेंडिंग ज़ोन में ठेला, ठेली, फ़ड़ इत्यादि लगाकर व्यवसाय करने पर अर्थ-दण्ड।	500.00 प्रतिदिन
37.	नगर पालिका सीमान्तर्गत सार्वजनिक मार्गो/सार्वजनिक स्थलों/निजी सम्पत्तियों आदि पर कूड़ा, प्लास्टिक की वस्तुऐं, तार, पॉलीथीन आदि जलाकर वायु में प्रदूषण करने पर अर्थ-दण्ड।	5000.00 प्रतिदिन
38.	नगर पालिका सीमान्तर्गत बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के भवन निर्माण करने पर अर्थ-दण्ड।	5000.00 प्रतिदिन

1	2	3
		रु0
39.	नगर पालिका की बिना लिखित अनुमति के पालिका की पाइप लाइनों से जल संयोजन लेना, पाइप लाइनों में छेड़छाड़ करना/क्षति पहुँचाने पर अर्थ-दण्ड।	2000.00 प्रतिदिन
40.	नगर पालिका सीमान्तर्गत बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति संतापकारी खतरनाक एवं आपत्तिजनक व्यापार जैसे–पटाखे बनाना/बिक्री करना आदि जिससे जनसुरक्षा को खतरा हो उन पर अर्थ-दण्ड।	5000.00 प्रतिदिन
41.	नगर पालिका की सीमान्तर्गत बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ज्वलनशील सामग्री का ढेर लगाने पर अर्थ-दण्ड।	5000.00 प्रतिदिन
42.	नगर पालिका की सीमान्तर्गत बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के आवासीय क्षेत्रों में सूअर पालन, मुर्ग़ी पालन, डेरी व्यवसाय आदि कार्य करने पर अर्थ-दण्ड।	5000.00 प्रतिदिन
43.	नगर पालिका की सीमान्तर्गत बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के निजी जल संचयन स्रोत जैसे–टिल्लू पम्प, जैड पम्प, समरसेबिल पम्प लगाने पर अर्थ-दण्ड।	500.00 प्रतिदिन
44.	नगर पालिका की सीमान्तर्गत पालतू कुत्तों के पहचान हेतु बेल्ट न बाँधने एवं वैक्सीन (एंटी रैवीज़ टीका) न लगवाने पर अर्थ-दण्ड।	500.00 प्रतिदिन
45.	भवन/दुकान स्वामियों द्वारा नल की टोटी खुली पाये जाने पर अर्थ-दण्ड।	500.00 प्रति प्रकरण
46.	पालतु कुत्तों/पशुओं को सडकों/पार्को/फुटपाथ/अन्य सार्वजनिक स्थानों पर शौच कराये जाने पर अर्थ-दण्ड।	500.00 प्रति प्रकरण
47.	नगर पालिका की सीमान्तर्गत किसी भी आयु के व्यक्ति द्वारा भीख माँगने का कार्य करने पर अर्थ-दण्ड।	1000.00 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
48	सैप्टीक टैकों को खाली करने हेतु निजी ओपरेटरों द्वारा खुले में सीवर/सैप्टीक टैकर को खाली करने पर अर्थ-दण्ड।	5000.00 प्रति प्रकरण

(ह0) अस्पष्ट,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, जोया, अमरोहा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शिखा तिवारी पुत्री राम नरेश तिवारी है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–4873 2681 9785 में मेरा नाम पूजा अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शिखा तिवारी पुत्री राम नरेश तिवारी पत्नी शुभम त्रिवेदी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शिखा तिवारी,
नि0–ग्राम व पोस्ट रिठनई उन्नाव,
उत्तर प्रदेश

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम तरून कुमार पुत्र योगेन्द्र राजपूत है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अकिंत है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 9587 9026 9838 में मेरा नाम राज राजपूत अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे सही नाम तरून कुमार पुत्र योगेन्द्र राजपूत के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

तरून कुमार,
पता– ग्राम औंधा, पोस्ट रमईपुर,
थाना बिधनू, जनपद कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अंजली मिश्रा पुत्री हनुमान प्रसाद मिश्रा है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 7343 8640 5745 में मेरा नाम मोनिया मिश्रा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अंजली मिश्रा पुत्री हनुमान प्रसाद मिश्रा पत्नी आदर्श तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अंजली मिश्रा, पुत्री हनुमान प्रसाद मिश्रा,
पत्नी आदर्श तिवारी,
निवासी– बन्धु मिश्र का पुरवा दियरा,
सुल्तानपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स आर0एस0 इण्टरप्राईजेज, 4/1075 चकराता रोड़, सहारनपुर का पंजीकरण क्षेत्रीय कार्यलय सहायक निबंधक, फर्म्स सोसायटी एवं चिट्स सहारनपुर के यहां से दिनांक 23 अप्रैल, 2025 को हुआ था। पंजीकरण के समय फर्म में रजत कुमार, गौरव गुप्ता, प्रशांत सिंघल, प्रियंका मित्तल व रेणू बंसल पार्टनर है। दिनांक 12 जुलाई, 2025 को रजत कुमार व गौरव गुप्ता ने अपने मर्जी से फर्म को छोड़ दिया है। वर्तमान में फर्म में प्रशांत सिंघल, प्रियंका मित्तल व रेणू बंसल पार्टनर है।

प्रशांत सिंघल,
भागीदार,
मेसर्स आर0एस0 इण्टरप्राईजेज,
4/1075 चकराता रोड़, सहारनपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आशुतोष पुत्र श्री दीपनारायण है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–8503 5024 5599 में उसका नाम दीप नारायण अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को सही नाम आशुतोष पुत्र श्री दीपनारायण के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

दीपनारायण,
निवासी– ग्राम बहेरा, पोस्ट राबर्टगंज,
तहसील राबर्टगंज जनपद सोनभद्र।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सैय्यद शमीमुल हसन रिजवी पुत्र सैय्यद वजीर हसन रिजवी है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–8092 5116 8026 में मेरा नाम शमीमुल हसन अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सैय्यद शमीमुल हसन रिजवी पुत्र सैय्यद वजीर हसन रिजवी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सैय्यद शमीमुल हसन रिजवी,
पुत्र सैय्यद वजीर हसन रिजवी,
पता– 271/304, रानी मण्डी,
इलाहाबाद प्रयागराज।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स एस0टी0 अडवानी, एण्ड क0 122/721 शास्त्री नगर-कानपुर-208005 में सर्वश्री हासा नन्द अडवानी, दीपक कुमार अडवानी, रवि अडवानी तथा सुशील अडवानी पार्टनरशिप डीड दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 के अनुसार पार्टनर थे। दिनांक 14 अक्टूबर, 2025 से श्री हासा नन्द अडवानी अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये है तथा उनके स्थान पर श्री ऋषि अडवानी पुत्र श्री हासा नन्द अडवानी दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 को शामिल कर लिया गया है। अब वर्तमान में सर्वश्री ऋषि अडवानी, दीपक कुमार अडवानी, रवि अडवानी, एवं सुशील अडवानी सभी निवासीगण 122/721 एवं 122/328, शास्त्री नगर–कानपुर, दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 से पार्टनरशिप डीड दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 के अनुसार पार्टनर हो गये है।

दीपक कुमार अडवानी,

पार्टनर।

NOTICE

The general public is informed that my correct name is Vishakha D/o Rajendra Prasad Tiwari, which is mentioned in my Aadhar Card bearing number 9823 5888 5782 and Pan Card No-CDZPT1882R. After marriage, I have changed my name from Vishakha to Vishakha Mishra. In future I should be known, referred and recognized by my new name Vishakha Mishra D/o Rajendra Prasad Tiwari and W/o Animesh Mishra.

It is hereby certified that all the legal formalities in respect of the above have been completed by me personally.

Vishakha
W/o Animesh Mishra,
Add-222 Dalapur Post Office,
Ramaipur Block Bahadurpur,
Prayagraj.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम नाव्या सिंह पुत्री नरेन्द्र कुमार जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड 6366 7023 0999 में उसका नाम रीलू यादव हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को नाव्या सिंह पुत्री नरेन्द्र कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

नरेन्द्र कुमार, पुत्र धर्मराज,
नि0 ग्राम गौरा पो0 बारी,
तह0 सोरांव, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सूरज कली पत्नी कामता प्रसाद साहू है। जोकि उपजिलाधिकारी द्वारा प्रेषित जॉच रिर्पोट एवं मेरे निर्वाचन कार्ड, बिजली बिल, सम्पति कर बिल, बैक पास बुक में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0– 3820 5183 9258 में मेरा नाम महरनिया अंकित हो गया है जोकि घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सूरज कली पत्नी कामता प्रसाद साहू के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सूरज कली पत्नी कामता प्रसाद साहू,
निवासी– 198 के/3 आर नया पुरा करैली,
जी0टी0वी0 नगर प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम देवश्री अरोरा पुत्री विकास अरोरा है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–2686 1780 7671 में उसका नाम दीबा अरोरा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम देवश्री अरोरा पुत्री विकास अरोरा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई।

विकास अरोरा, पुत्र स्व0 महेन्द्र अरोरा,
निवासी–3/189, विराम खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शौर्य देवंशी (SHAURYA DEVANSHI) पुत्र आशीष कुमार है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–3748 1520 9848 में उसका नाम शुभ देवंशी (SHUBH DEVANSHI) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शौर्य देवंशी (SHAURYA DEVANSHI) पुत्र आशीष कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आशीष कुमार पुत्र माखन लाल,
निवासी– मोहल्ला मोची टोला,
पोस्ट व तहसील चुनार जिला मीरजापुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आनन्द त्रिपाठी पुत्र लोकपति त्रिपाठी है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 4557 5264 3732 में उसका नाम पदुम त्रिपाठी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आनन्द त्रिपाठी पुत्र लोकपति त्रिपाठी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शशि त्रिपाठी पत्नी लोकपति त्रिपाठी,
ग्राम– लोहदा, तहसील– राजापुर,
जिला चित्रकूट, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम यशराज कुशवाहा (YASH RAJ KUSHWAHA) पुत्र राम अवध कुशवाहा है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 4397 9409 5923 में उसका नाम आरव सिंह कुशवाहा हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम यश राज कुशवाहा (YASH RAJ KUSHWAHA) पुत्र राम अवध कुशवाहा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई।

राम अवध कुशवाहा,
पुत्र राम शिरोमणि कुशवाहा,
निवासी– अमौरा, बमैला प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रवीना भट्ट RAVEENA BHATT पुत्री कृष्णदीप भट्ट है जो कि उसके शैक्षिणिक अभिलेख

में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–9889 0350 9997 में उसका नाम हिमाद्री भट्ट अंकित हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम रवीना भट्ट पुत्री कृष्णदीप भट्ट के नाम से जाना व पहचाना जायेगा।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई।

कृष्णदीप भट्ट,
पता– 27 सूर्यांश सिटी, फेज–4,
सतरिख रोड,चिनहट लखनऊ, उ0प्र।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री आयुषी दूबे पुत्री गौरव दूबे का नाम सही है, जो कि जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं0–5870 6791 5575 में उसका नाम नायरा दूबे अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आयुषी दूबे पुत्री गौरव दूबे के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई।

गौरव दूबे,
पुत्र स्व0 श्याम सुन्दर दूबे,
नि0–229/1 त्रिवेणी नगर,
नैनी प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ''पूजा इंटरनेशनल'' पता–डी-19 इंडस्ट्रियल एस्टेट, हरथला, कांठ रोड, मुरादाबाद (यु0पी0) नामक फर्म में दिनांक 01 सितम्बर, 2025 को श्री धवल कपूर पुत्र श्री दिनेश कपूर रिटायर हो गये है तथा दिनांक 01 सितम्बर, 2025 को श्रीमती गुंजन कपूर पत्नी श्री अमित कपूर शामिल हो गयी है तथा रिटायर्ड पार्टनर की उक्त फर्म पर किसी भी प्रकार की कोई देनदारी या लेनदारी बकाया नहीं है तथा अब वर्तमान में दो पार्टनर श्री अमित कपूर व श्रीमती गुंजन कपूर हो गये है।

अमित कपूर,
पार्टनर,
मेसर्स ''पूजा इंटरनेशनल'',
पता–डी–19 इंडस्ट्रियल एस्टेट, हरथला,
कांठ रोड, मुरादाबाद (यु0पी0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स यशवंत सिंह, ग्राम–भीटी, पो0 बेलीपार, जनपद गोरखपुर उ0प्र0 नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 16 अप्रैल, 2014 से श्री यशवंत सिंह एवं श्री जयनारायन सिंह साझेदार थे। यह की उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स गोरखपुर में पंजीकरण सं0 G-4963 पर पंजीकृत है। यह कि उक्त फर्म के साझेदारीडीड दिनांक 11 मार्च, 2025 से श्रीमती अनिता वर्मा जी उक्त फर्म में तृतीय साझेदार के रूप में शामिल हो चुकी है। अब उक्त फर्म में क्रमशः श्री यशवंत सिंह व श्री जयनारायन सिंह एवं श्रीमती अनिता वर्मा जी है। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन देन बकाया नहीं है।

यशवंत सिंह,
साझेदार,
मेसर्स यशवंत सिंह, ग्राम–भीटी, पो0 बेलीपार,
जनपद गोरखपुर, उ0प्र0

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s B.K. ASSOCIATES, 43/4 Vijay Nagar, Kanpur की साझीदार हूँ। फर्म का पंजीयन रजि0सं0–K-10506 पर

दिनांक 18 मई, 2013 में हुआ था। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 03 अप्रैल, 2001 के अनुसार फर्म में बृज किशोर सिंह, श्रीमती मंजू सिंह व श्री बृज पाल सिंह साझीदार थे। संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2024 के अनुसार साझीदारी में आकृति सिंह को शामिल किया गया है तथा उसी दिनांक को साझीदार श्री बृज पाल सिंह स्व–इच्छा से पृथक हो गये है। वर्तमान में फर्म में श्री बृज किशोर सिंह, श्रीमती मंजू सिंह, आकृति सिंह साझीदार है। फर्म का पता परिवर्तित कर Flat No. 503, Hari Tower, 117/H-1/186, Pandu Nagar, Kanpur U.P. 208005 कर दिया गया है।

बृज किशोर सिंह,

पार्टनर।

सूचना

मेरे पुत्र का सही नाम सुफियान पुत्र रफीउल्ला है जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र (रजिस्टर नंबर बी-2020:9-20233-006719 दिनांक 16 फरवरी, 2020) और आधार 6560 5490 4949 में अंकित है। मैने अपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक नही होने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम सुफियान से बदल कर मो0 शाहमीर रफी (Mohd Shahmeer Rafi) रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को मो0 शाहमीर रफी (Mohd Shahmeer Rafi) पुत्र रफीउल्ला (Rafi Ulla) के नाम से जाना जायेगा।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई।

रफी उल्ला,
पता–525, फाडक इन्क्लेव पीली भीत,
बाईपास फेज–2 बरेली।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 मलूक चन्द कॉटन एण्ड ऑयल मिल, 7/46 पत्थर बाजार अलीगढ़ में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्री दिनेश चन्द अग्रवाल, श्री नरेन्द्र मोहन अग्रवाल, श्री शिवांग मोहन अग्रवाल निवासीगण पत्थर बाजार, अलीगढ़ हम सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 03 अप्रैल, 2023 को संचालन की थी। दिनांक 21 सितम्बर, 2025 को श्री नरेन्द्र मोहन अग्रवाल की मृत्यु हो गई है। दिनांक 06 अक्टूबर, 2025 से श्रीमती सीमा अग्रवाल फर्म में साझेदार हो गई है। अब फर्म को श्री दिनेश चन्द्र अग्रवाल, श्री शिवांग मोहन अग्रवाल, श्रीमती सीमा अग्रवाल हम सभी साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

दिनेश चन्द्र अग्रवाल,
साझेदार,
मे0 मलूक चन्द कॉटन एण्ड ऑयल मिल,
7/46 पत्थर बाजार, अलीगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स आर0के0 मोटर एण्ड जनरल फाइनेंस, रामकली भवन तहसील रोड नजीबाबाद जिला बिजनौर उ0प्र0 में दिनांक 04 फरवरी, 2009 में दो पार्टनर्स (1) श्रीमती चांद गुप्ता पत्नी श्री नरेश चन्द गुप्ता निवासी कोटद्वार रोड नजीबाबाद तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर उ0प्र0 (2) श्री सचिन गुप्ता पुत्र श्री नरेश चन्द गुप्ता, निवासी कोटद्वार रोड नजीबाबाद, जिला बिजनौर, उ0प्र0।

अब दिनांक 06 अक्टूबर, 2025 से श्रीमती शैफाली गुप्ता पत्नी श्री सचिन गुप्ता निवासी कोटद्वार रोड नजीबाबाद जिला बिजनौर उ0प्र0 उक्त फर्म मेसर्स आर0के0 मोटर एण्ड जनरल फाइनेंस, राम कली भवन तहसील रोड नजीबाबाद जिला बिजनौर, उ0प्र0 में पार्टनर सम्मिलित हुई है एवं पार्टनर श्रीमती चांद गुप्ता पत्नी श्री नरेश चन्द गुप्ता निवासी कोटद्वार रोड नजीबाबाद तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर उ0प्र0 फर्म उपरोक्त से स्वेच्छा से निवृत्त (रिटायर) हो गयी है।

अब इस फर्म में श्री सचिन गुप्ता पुत्र श्री नरेश चन्द गुप्ता निवासी कोटद्वार रोड नजीबाबाद जिला बिजनौर उ0प्र0 (पार्टनर नं01) व श्रीमती शैफाली गुप्ता पत्नी श्री सचिन गुप्ता निवासी कोटद्वार रोड नजीबाबाद जिला बिजनौर उ0प्र0 (पार्टनर नं0 2) रह गये है।

भागीदार

सचिन गुप्ता
मेसर्स आर0के0 मोटर एण्ड जनरल फाइनेंस,
रामकली भवन तहसील रोड नजीबाबाद,
जिला बिजनौर उ0प्र0।

सूचना

यह सूचित किया जाता है कि ताशी माइक्रोसरफेसिंग सिस्टम्स, जो दिनांक 03 फरवरी, 2011 को स्थापित हूई थी, में भागीदार श्री सतीश चंद्र के 03 जनवरी, 2025 को निधन और भागीदार श्री अशेष अग्रवाल के इच्छा से उसी दिनांक से सेवानिवृत होने के कारण फर्म का पुनर्गठन किया गया है। फर्म का पुनर्गठन दिनांक 03 जनवरी 2025 से प्रभावी है, जिसमें श्रीमती तरू अग्रवाल (निरंतर भागीदार) और कु0 मणि अग्रवाल को नए भागीदार के रूप में शामिल किया गया है। फर्म का प्रधान व्यवसाय स्थल अब स्थानांतरित होकर निम्नलिखित पते पर स्थित है, दुकान नं0 5 और 6, राधा कृष्ण मंदिर, सिद्धार्थ कॉलोनी, आर्य समाज रोड, मुजफ्फरनगर–251001 उत्तर प्रदेश।

श्रीमती तरू अग्रवाल,
पत्नी श्री मनीष चन्द्र अग्रवाल,
R/o H.No-31/22A Siddharth Colony,
Arya Samaj Road Muzaffarnagar.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता का सही नाम सरिता यादव है उनके आधार कार्ड में अंकित है तथा मेरे हाई स्कूल प्रमाण पत्र सह अंक पत्र अनुक्रमांक 23149416 वर्ष 2020 में भी अंकित है। त्रुटिवश मेरे इण्टरमीडिएट प्रमाण पत्र सह अंक पत्र अनुक्रमांक 23634648 वर्ष 2022 में मेरी माता का नाम सरिता देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई।

उत्तम यादव,
पुत्र ब्रम्हानन्द सिंह यादव,
ग्राम जीवपुर पो0 व तह0 जमानिया,
जिला गाजीपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम पाण्डेय अर्पित गिरीशचन्द्र सुत गिरीशचन्द्र पाण्डेय है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित हैं त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–2571 2775 8051 में उनका नाम अर्पित पाण्डेय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम पाण्डेय अर्पित गिरीशचन्द्र सुत गिरीशचन्द्र पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई।

गिरीशचन्द्र पाण्डेय सुत हरीराम पाण्डेय,
ग्राम पुरे रामदीन असैदापुर,
तहसील–गौरीगंज जनपद–अमेठी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम श्रेया सिंह खरवार पुत्री राज कपूर सिंह खरवार है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है जबकि मेरे आधार कार्ड सं0–6691 2281 4972 में मेरा घरेलू नाम प्रिया अंकित हो गया है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम श्रेया सिंह खरवार पुत्री राज कपूर सिंह खरवार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई।

श्रेया सिंह खरवार,
पुत्री राज कपूर सिंह खरवार,
निवासी– रामपुर खास, सुबंस छापर,
पो0 रामपुर गढ़, जिला–देवरिया, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मोहम्मद नसीब हैदर पुत्र हसीन हैदर नकवी है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–9665 9961 9703 में मेरा नाम फातिन हैदर अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मोहम्मद नसीब हैदर पुत्र हसीन हैदर नकवी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई।

मोहम्मद नसीब हैदर, पुत्र हसीन हैदर नकवी,
पता–रसूलपुर, रोहनिया, रायबरेली, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स जिमी एसोसिएट्स स्थिति S-1/4-37, राज राजेश्वरी नगर कॉलोनी, गिल्ट बाजार वाराणसी के साझेदारान श्री जय प्रकाश सिंह पुत्र स्व0 राज विजय सिंह, श्री प्रशान्त कुमार सिंह पुत्र श्री जय प्रकाश सिंह एवं श्रीमती मीना सिंह पत्नी श्री सन्तोष कुमार सिंह, पता– फर्म उपरोक्त के थे। दिनांक 16 जुलाई, 2025 को साझेदार श्री जय प्रकाश सिंह का स्वर्गवास हो गया। तत्पश्चात श्रीमती प्रतिभा पत्नी श्री प्रशान्त कुमार सिंह, पता– फर्म उपरोक्त दिनांक 17 जुलाई, 2025 को नये साझेदार के रूप में शामिल हुई है अब उक्त फर्म उपरोक्त तीन साझेदारान द्वारा चलाया जा रहा है।

मीना सिंह,
साझेदार,
मेसर्स जिमी एसोसिएट्स स्थिति S-1/4-37,
राज राजेश्वरी नगर कॉलोनी,
गिल्ट बाजार वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रामस्वरूप यादव पुत्र स्व0 दीनदयाल है जो मेरे खतौनी, राशन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र तथा उपजिलाधिकारी द्वारा की जांच रिपोर्ट में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार सं0– 2354 5276 2286 में मेरा नाम शिवस्वरूप अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रामस्वरूप यादव पुत्र स्व0 दीनदयाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

रामस्वरूप यादव पुत्र स्व0 दीनदयाल,
निवासी– ग्राम बसहर थाना सरधुवा,
तह0 राजापुर जनपद चित्रकूट।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सिंह ट्रांसपोर्ट, ग्राम फरीदपुर उददा चांदपुर रोड, जिला

बिजनौर (यू0पी0) पंजीकरण सं0–BIJ/0006839 में दो पार्टनर, श्रीमती सुमित्रा पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह एवं अनुज चौधरी पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह थे। पार्टनर श्रीमती सुमित्रा ने दिनांक 29 नवम्बर, 2025 को रिटायरमेन्ट लेकर अपनी साझीदारी समाप्त कर ली है। फर्म में दिनांक 29 नवम्बर, 2025 को श्रीमती अनुनमा पत्नी श्री नीरज एवं श्रीमती शैली आर्य पत्नी श्री अनुज चौधरी शामिल हो गयी है। रिटायरमेंट लेने वाले पार्टनर की उक्त फर्म पर अब कोई लेनदारी/देनदारी नहीं है। फर्म में अब तीन पार्टनर श्री अनुज चौधरी, श्रीमती अनुनमा एवं श्रीमती शैली आर्य है।

अनुज चौधरी,
पार्टनर,
मेसर्स सिंह ट्रांसपोर्ट, ग्राम फरीदपुर उददा,
चांदपुर रोड, जिला बिजनौर (यू0पी0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स गौरी राईस इंडस्ट्रीज पता सी/245, शहदाना कॉलोनी बरेली उत्तर प्रदेश 243005 जिसकी पंजीकरण सं0–BAR/0012316 में दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 को अन्य साझेदारों की सहमति व स्वेच्छा से श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री सत्य प्रकाश को नया साझेदार बनाया गया व दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 को साझेदार श्री पुनीत सपरा पुत्र श्री केवल नयन सपरा स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये। सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनीत सपरा का फर्म पर व फर्म का पुनीत सपरा पर कोई शेष बकाया नही है व दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 को ही अन्य साझेदारों की सहमती व अपनी इच्छा से श्री संजीव चांदना फर्म में नये साझेदार के रूप में सम्मिलित हुये। वर्तमान में उपरोक्त फर्म में कुल चार साझेदार क्रमशः 1– राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता 2– संजीव चांदना 3– हर्ष वर्धन वैश्य 4– पुनीत चांदना है।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई।

हर्ष वर्धन वैश्य,
साझेदार,
मेसर्स गौरी राईस इंडस्ट्रीज,
पता– सी/245, शहदाना कॉलोनी,
बरेली उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–36 हिन्दी गजट–भाग 8–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।